Ļ



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2171] No. 2171] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 29, 2012/कार्तिक 7, 1934 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 2012/KARTIKA 7, 1934

सड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2616(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 977(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2009, द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 के 40.00 कि.मी. से 144.40 कि.मी. (पुणे-सोलापुर सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्राधिकरण'' कहा गया है) को सींग़ है :

और प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 14 के उपबंध के अनुसरण में मैसर्स पुणे सोलापुर एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, जो 24-12-2008 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है, और जिसका राजस्ट्रीकृत कार्यालय टांटा सर्विसिस लिमिटेड, जीवन भारती टावर I, दसवां तल, 124 कनॉट सरकस, नई दिल्ली-110001, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''रियायतग्राही'' कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 के 40.00 कि.मी. से 144.40 कि.मी. तक पुणे-सोलापुर सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है), को चार लेन के विभाजित कैरिजवे के रूप में विकास तथा प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''नियम'' कहा गया है) जो कि सा.का.नि. 838(अ) में तारीखः 5 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हुआ है, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में निहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु कुल सड़क खण्ड की लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर फीस (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर'' कहा गया है) और पुलों/सरचना/बाइपास, जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और सारणी 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के यानों पर सारणी सं. 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर फीस उद्गृहीत और संग्रहीत की जाएगी, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में विनिर्दिष्ट अवसान की तारीख तक फीस का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है ;

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस	1,05
बस या द्रक	2.20
भारी निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण(इएमइ)	3.45
अथवा मल्टी एक्सल वाहन(एमएवी)(तीन से छह धुरी वाले)	
विशाल आकार वाले यान (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

	फीस की आध	गर दर (प्रति यान	प्रति फेरा)		
स्थायी पुल, या	कार, जीप ,	हल्का	ट्रक या बस	भारी निर्माण	विशाल आकार
सुरंग की लागत	वेन या	वाणिज्यिक		मशीनरी या	यान
(करोड़ रू० में)	हल्का	यान, हल्का		अर्थ मूर्विग	
	मोटर यान	माल यान या		उपस्कर या	
		मिनी बस		बहुधुरीय यान	
10 से 15	5	7.50	15	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त	1	1.50	3	4.50	6
पांच करोड़ रुपए					
या उसके भाग के				-	
लिए, पंद्रह करोड़				, i	444
रुपए से अधिक					
और एक सी करोड़					Name of the state
रुपए तक					

टिप्पण :-

1. फीस का उदग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय किया जायेगा ।

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. म) जिसके लिए फीस संदेय है
65.0 कि.मी. पाटस गांव के पास पुणे जिले में	62.50
140.100 कि.मी. सारदेवदी गांव के पास पुणे जिले में	40.35 (7.20 कि.मी. इंदापुर बाईपास को छोड़कर)

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास के उपयोग के लिए, जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, की फीस भी निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगी :

लम्बाई(कि.मी. में) और व	गइपास की लागत (करोड
रूपये में) जिसके लिए अ	तेरिक्त शुल्क संदेय है
लम्बाई	लागत
7.200	62.00
	लम्बाई(कि.मी. में) और ब रूपये में) जिसके लिए आ लम्बाई 7.200

- 3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि.मी. के भीतर में रहता हो तो उसके लिए वर्ष 2012- 13 के लिए, मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रुपए मात्र) प्रतिमाह होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 4. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे , अर्थात् :-

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राअ की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

- 5. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लंदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर फीस का संदाय करना होगा जो उनसे अगले उच्च प्रवर्ग के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 6. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुझेय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
- 7. उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए फीस की दरों को संप्रदर्शित किया जाएगा।
- 8. ऊपर सारणी 1 और 2 में यथा उल्लिखित , आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर , यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि छह महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जायेगा तथा तदनुसार कम से कम अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के एक एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/662/सीओ/11-12/जीसी पुणे (40.00-144.40) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2012

S.O. 2616(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 977 (E), dated the 20th April, 2009, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 40.00 to kilometer 144.400 (Pune - Solapur section) of National Highway No. 9 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an Agreement on 19th May, 2009 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Pune Solapur Expressways Private Limited, having its registered office at Tata Services Limited, Jeevan Bharati Tower I, 10th Floor, 124 Connaught Circus, New Delhi, 110001, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 24.12.2008, for the development of Pune - Solapur section from Km 40.00 to Km 144.40 on National Highway No. 9 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structure/ bypass costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km fo base year 2007-08 (in Rupees)	r the
(1)	(2)	
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65	
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05	
Bus or Truck (Two Axles)	2.20	····
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45	-
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20	

Table 2

Base rates of fee (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of permanent bridge, bypass or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversi zed Vehicl e
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is
	payable
Km 65.0 near Patas village in Pune District	62.50
Vm 140 100 mon Soudova di villa di Barrio	10.05
Km 140.100 near Sardewadi village in Pune District	40.35
	(excluding 7.2 km Indapur Bypass)

4127 9712-2

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) an Rupees crore) for y payable	d Cost of bypass (in which additional fee is
Km 140.100 near Sardewadi village in Pune District	Length (km)	Cost (Rs. in crore) 62.00

- 3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey		Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

- 5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
- 7. The amount of fee to be charged from the mechanical vehicles shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.
- 8. Based on the base rates of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in the Table 1& 2 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/662/CO/11-12/GC Pune (40.00-144.40)BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.